

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਯਾਕਣ
ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ
ਮੰਤ्रਾਲਯ,
ਮਹਾਨਦੀ ਭਵਨ, ਨਵਾ ਦਾਯਪੁਰ ਅਟਲ ਨਗਰ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਦਾਯਪੁਰ (ਛ.ਗ.)

क्रमांक 1101 / एफ-7-15/31/एस-2/2023,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक ०५/०३/२०२४

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :— सक्ती जिले के विकासखण्ड—सक्ती के अंतर्गत उषड़ नाला में मल्दी स्टापड़ेम सह रपटा निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्र.-2298 / बो.प्र. / A.A./TS / मि.ह.बांगो / 2022 / 10084, दि. 11.11.2022.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा सक्ती जिले के विकासखण्ड—सक्ती के अंतर्गत उषड़ नाला में मल्दी स्टापडेम सह रपटा निर्माण कार्य हेतु राशि रु. 364.56 लाख (रूपये तीन करोड़ चौसठ लाख छप्पन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति योजना एवं सोलर संयंत्र का संचालन/संधारण हितग्राही कृषकों की संस्था द्वारा स्वयं के संसाधन से कराये जाने की शर्त पर प्रदान करता है।

2. योजना से भू-जल संवर्धन, निस्तारी एवं आवागमन की सुविधा के साथ 30 हेक्टेयर खरीफ एवं 30 हेक्टेयर रबी, कुल 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर संयंत्र के माध्यम से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।
 3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
 4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
 5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {102}-भू-तल जल, 0101-राज्य आयोजना (सामान्य), (5059)-एनीकट/स्टापडेम निर्माण #26-वृहद निर्माण कार्य, 005-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
 6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-159, सी.एन.-31-00652/बजट-2/वित्त/चार/2024 दिनांक 21.02.2024 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
 7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

चत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानसार

Punjab
05/03/24
(प्रेमसिंह घरेन्द)

अवर सचिव

जपर राष्ट्रपति
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1102 / एफ-7-15/31/एस-2/2023,

अटल नगर, दिनांक 05/03/2024

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—सक्ती (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4—22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, केलो परियोजना बांध मंडल खरसिया, जिला—रायगढ़।
14. कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक—6, सक्ती, जिला—जांजगीर—चांपा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

०५/०३/२४
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
२८/३/२४